न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

जस्व वाद संख्या :–72 / 2016

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण

वादीनी

1. श्रीमति धापू पुत्री धारा पत्नि चिमाराम मेगवाल निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) हाल निवासी लापला (कोसरिया) बायतु
2. श्रीमति पेम्पों पुत्री धारा पत्नी पोकरराम के कायम मुकाम
   2/1 मांगाराम पुत्र पोकरराम माता पेंम्पों
   2/2 चीमाराम पुत्र पोकरराम माता पेंम्पों निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) हाल निवासी वाडेल नाडी, सिणधरी चारणान
3. श्रीमति मीरों पुत्री धारा पत्नी अणदाराम के कायम मुकाम
   3/1 शंकराराम पुत्र अणदाराम माता मीरो निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) तहसील सिणधरी

प्रतिवादीगण

1. दूदाराम पुत्र धाराराम के कायम मुकाम
   1/1 आसूराम पुत्र दुदाराम
   1/2 देवाराम पुत्र दुदाराम
2. गुमनाराम पुत्र धाराराम
3. चांदी पुत्री दमाराम
4. सुरताराम पुत्र लुम्बाराम
   4/1 राउराम पुत्र सुरताराम
   4/2 जोगाराम पुत्र सुरताराम
   4/3 पारू पत्नी सुरताराम
5. डूँगरराम पुत्र लुम्बाराम
6. नगाराम पुत्र लुम्बाराम
7. नारणाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकाम
   7/1 भंवराराम पुत्र नारणाराम
   7/2 जगदीश पुत्र नारणाराम
   7/3 मोहनराम पुत्र नारणाराम
8. श्रीमति जमना पत्नि लुम्बाराम
9. हीराराम पुत्र पोलाराम
10. हेमन्तकुमार पुत्र पोलाराम
11. मीरों पत्नि पोलाराम
12. रामाराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम
    12/1 जूजाराम पुत्र रामाराम
    12/2 लिखमाराम पुत्र रामाराम
13. दीपाराम पुत्र मोडाराम के कायम मुकाम
    13/1 रावताराम पुत्र दीपाराम
14. मांगाराम पुत्र मोडाराम निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) तहसील सिणधरी
15. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verif
Digitally signed by Jagd
Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री रामजीवन विशनोई वकील वादिनीगण
श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रतिवादी सं. 1/2 व 3 व
श्रीमति पेंम्पों के वारिसान 2/1 चिमाराम
पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

निर्णय

दिनांक– 02.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त एवं पुश्तैनी सम्पति की भूमि खसरा संख्या 89 रकबा 94.05 बीघा ग्राम गोदारों का सरा, खसरा संख्या 140 रकबा 76.16 बीघा ग्राम सणपा फांटा भौमजी तथा खसरा संख्या 99 व 121 कुल रकबा 70.17 बीघा ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त पक्षकार मुतफवी धनाराम के वारिस है, जिनके 4 पुत्र–वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्व धारा, प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पूर्वपुरूष लुंबा, प्रतिवादी संख्या 12/1 व 12/2 के पूर्वपुरूष सोना एवं प्रतिवादी संख्या 13/1 व 14 के पूर्वपुरूष मोडा– थे। धारा के वारिसान में वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड में केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किए गए, किन्तु वादिनीगण के बावजूद धारा की जाईंदा पुत्रिया होने के उनका नाम छोड़ दिया गया, जबकि मौके के प्रत्येक थौक का धारा के 1/4 हिस्से में 1/6–1/6 हिस्से पर यानी कुल भूमि के 1/24–1/24 हिस्से पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः वादीनीगण ने स्वयं को वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपने कब्जाकाश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजियन कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 4 से 14 के बावजूद समन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिनीगण धारा की विधिक वारिस होने का तथ्य गलत है। यदि वे धारा की वारिस होती तो 30–40 वर्ष बाद वाद प्रस्तुत नहीं करती। उनका न तो वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है और न हक ही। वादीनी बगैर स्वयं को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित करवाए वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही कर सकती। वादीनीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण को नाहक परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है, जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जावे।

वकील वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन में श्रीमती धापू पी.डब्लू–01 का बतौर गवाह शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम त्रिशुलिया के खसरा संख्या 99 व 121 के खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श पी–01, धारा के फौत होने पर नामांतरकरण ...48 मौजा सणपा प्रदर्श पी–02, ग्राम सणपा फांटा भौमजी की खसरा संख्या 140 ... 70 ... जमाबंदी प्रदर्श पी–03, ग्राम गोदारों के सरा के खसरा संख्या 89 की संवत् 2067–70 की ... बंदी प्रदर्श पी–04, ग्राम त्रिशुलिया के खसरा संख्या 99 व 121 की संवत् 2065–68 की ... तथा सरपंच ग्राम पंचायत सणपा मानजी द्वारा जारी धारा का वारिस प्रमाणपत्र जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वकील वादीनीगण की बहस है कि वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार धारा, जो ा से मेगवाल होने से हिन्दु विधि से वक्त मृत्यु शासित होता था। मुतवफी धारा के दुदा, दमा, ना के साथ-साथ वादीनीगण के रूप में तीन पुत्रियां जो हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की थम अनुसूची की वारिस थी, किन्तु जरिए नामांतरकरण वादग्रस्त भूमि धारा के पुत्रों के नाम दायर क़र दी गई और वादिनी के नाम छोड़ दिए गए। जिसमें वादीनी एवं उनके वारिस बावजूद अधिकारीता के वंचित कर दी गई। अतः वादीनीगण और उनके वारिस स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं उनके वारिसान के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अपने कब्जाकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में अपने जवाब के तथ्य दोहराते हुए वादिनीगण एवं उनके वारिसान धारा से कोई रिश्तेदारी होने एवं परिणामतः उनका उक्त भूमि में कोई हक या कब्जा काश्त होने के तथ्य का खंडन किया।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाह के शपथपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार वादीनीगण अपने भाईयों के साथ धारा की प्रथम अनुसूची की वारिस है। सरपंच ग्राम पंचायत सणपा मानजी के जारी वारिस प्रमाणपत्र से वादिनीगण के धारा की जाईंदा पुत्रियां होने की पुष्टि होती हैं। कानूनन पिता की संपत्ति में पुत्र व पुत्रियां भी इकाई के रूप में जन्मतः हक होता है और उन्हें उनके हकों से महरूम नहीं किया जा सकता। अतः वादीनी एवं उनके वारिस वादग्रस्त भूमि में वारिसाना हकानुसार अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एकतरफ वादीनी के धारा की पुत्रियां होने का अपने जवाब में खंडन करते है, दूसरी तरफ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादिनी संख्या 2 के कायम मुकाम 2/1 व 2/2 के साथ अन्य वारिस होने की दलील भी देते है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में धारा के 1/4 हिस्से में उसके छहों वारिसान का बहिस्सा बराबर हक होना साबित है।

लिहाजा वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गोदारों का सरा की खसरा संख्या 89 रकबा 94.05 बीघा, ग्राम सणपा फांटा भोमजी की खसरा संख्या 140 रकबा 76.16 बीघा तथा ग्राम त्रिशुलिया की खसरा संख्या 99 रकबा 31.05 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 39 [illegible] भूमि में वादीनी संख्या 1 तथा वादी संख्या 2/1, 2/2, व 3/1 को प्रतिवादी संख्या [illegible] 4 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/48-1/48 हिस्सा वादी संख्या 2/1, 2/2 एवं प्रति[illegible] संख्या 1/1 व 1/2 प्रत्येक की, 1/24-1/24 हिस्सा वादीनी संख्या 1, 3/1 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 प्रत्येक की, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3, 5, 6 व 8 से 11 तथा 7/[illegible] 7/3 की, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12/1 व 12/2 की तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13/1 व 14 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:06
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not

Digitally signed by
Ashiya
Date: 2025.09.28
Reason: SelfAttes

मूलवाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण

वादीनी

1. श्रीमति धापू पुत्री धारा पत्नि चिमाराम मेगवाल निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) हाल निवासी लापला (कोसरिया) बायतु
2. श्रीमति पेम्पों पुत्री धारा पत्नी पोकरराम के कायम मुकाम
   2/1 मांगाराम पुत्र पोकरराम माता पेंम्पों
   2/2 चीमाराम पुत्र पोकरराम माता पेंम्पों निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) हाल निवासी वाडेल नाडी, सिणधरी चारणान
3. श्रीमति मीरों पुत्री धारा पत्नि [illegible]राम के कायम मुकाम 3/1 शंकरराम पुत्र [illegible]राम [illegible] निवासी गोदारों का [illegible] मानजी) तहसील सिणधरी

प्रतिवादीगण

1. दुदाराम पुत्र धाराराम के कायम मुकाम
   1/1 आसूराम पुत्र दुदाराम
   1/2 देवाराम पुत्र दुदाराम
2. गुमनाराम पुत्र धाराराम
3. चांदी पुत्री दमाराम
4. सुरताराम पुत्र लुम्बाराम
   4/1 राउराम पुत्र सुरताराम
   4/2 जोगाराम पुत्र सुरताराम
   4/3 पारू पत्नी सुरताराम
5. डूंगराराम पुत्र लुम्बाराम
6. नगाराम पुत्र लुम्बाराम
7. नारणाराम पुत्र लुम्बाराम के कायम मुकाम
   7/1 भंवराराम पुत्र नारणाराम
   7/2 जगदीश पुत्र नारणाराम
   7/3 मोहनराम पुत्र नारणाराम
8. श्रीमति जमना पत्नि लुम्बाराम
9. हीराराम पुत्र पोलाराम
10. हेमन्तकुमार पुत्र पोलाराम
11. मीरों पत्नि पोलाराम
12. रामाराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम
    12/1 जूजाराम पुत्र रामाराम
    12/2 लिखमाराम पुत्र रामाराम
13. दीपाराम पुत्र मोडाराम के कायम मुकाम
    13/1 रावताराम पुत्र दीपाराम
14. मांगाराम पुत्र मोडाराम निवासी गोदारों का सरा (सणपा मानजी) तहसील सिणधरी
15. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत:— 88,188, आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—72 / 2016
निर्णय दिनांक :— 02.05.2025

वादी की ओर से श्री रामजीवन विशनोई अधिवक्ता , प्रतिविादी सं. 1/2 व 3 की और से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादी 15 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.05.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के

सहायक कलक्टर
[illegible] सिणधरी